न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2012/00002 **दायरा दिनांक : 28.08.2012**

उनवान

अमर सिंह आत्मज भूरा, जाति चारण, निवासी ग्राम बलवटपुरा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज0)

.... अपीलांट

बनाम

1. गंगाराम पुत्र राधीबाई, जाति चारण, निवासी ग्राम बलवटपुरा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज0)
   1/1. धीरीबाई, आयु 30 साल पुत्री गंगाराम, जाति चारण, निवासी ग्राम आनन्दा, तहसील असनावर, जिला झालावाड़ (राज0)
   1/2. रानीबाई, आयु 45 साल पुत्री गंगाराम, जाति चारण, निवासी ग्राम आनन्दा, तहसील असनावर, जिला झालावाड़ (राज0)
   1/3. कंवरीबाई आयु 50 साल पुत्री गंगाराम, जाति चरण, निवासी ग्राम खेरीया पो0 आ0 रटलाई, तहसील बकानी, जिला झालावाड़ (राज0)
2. सोनाबाई पुत्री राधीबाई, जाति चारण, निवासी ग्राम बलवटपुरा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज0)
   2/1. भंवरलाल, आयु 40 साल आत्मज लक्ष्मण, जाति चारण, निवासी ग्राम बक्शपुरा, तहसील मण्डाना, जिला कोटा (राज0)
   2/2. रमेश आयु 25 साल आत्मज लक्ष्मण, जाति चारण, निवासी ग्राम मण्डाना, तहसील मण्डाना, जिला कोटा (राज0)
   2/3. कालीबाई, आयु 30 साल पुत्री लक्ष्मण पत्नी हरलाल, जाति चारण, निवासी ग्राम मण्डाना, तहसील मण्डाना, जिला कोटा (राज0)
3. लालजीराम आत्मज मांगीलाल चारण, निवासी ग्राम बरूखेड़ी, तहसील खिलचीपुर, जिला राजगढ़ (म0प्र0)
4. मांगीलाल जाति चारण, निवासी ग्राम बरूखेड़ी, तहसील खिलचीपुर, जिला राजगढ़ (म0प्र0)
   4/1. लालजीराम आत्मज मांगीलाल, जाति चारण निवासी ग्राम बरूखेड़ी तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ मध्य प्रदेश
5. नाथू पुत्र भूरा, जाति चारण, निवासी ग्राम बलवटपुरा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज0)
6. रणजीत आत्मज देवीसिंह, जाति चारण, निवासी ग्राम बलवटपुरा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज0)
7. बव्वीबाई बेवा देवीसिंह, जाति चारण, निवासी ग्राम बलवटपुरा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज0)
8. नवल सिंह आत्मज करणसिंह, जाति चारण, निवासी ग्राम बलवटपुरा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज0)
9. कमला पुत्री भूरा जोजे देवराज, जाति चारण निवासी ग्राम बावड़ीखेड़ा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा (राज0)
10. भूरीबाई पुत्री भूरा जोजे हरिसिंह जाति चारण, निवासी पाडला, तहसील सोयत, जिला शाजापुर (म0प्र0)
    10/1 रोडू आयु 45 वर्ष आत्मज हरिसिंह जाति चारण, निवासी ग्राम पगारिया तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़ राज0

/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

10/2 नारायन आयु 27 साल आत्मज हरिसिंह जाति चारण, निवासी ग्राम पालडा, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़ राज0

10/3 बालकबाई आयु 24 साल पुत्री हरिसिंह पत्नि भगवान सिंह, जाति चारण, निवासी ग्राम बूढा, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़ राज0

10/4 कमला बाई आयु 30 साल पुत्री हरिसिंह पत्नि कान्हाजी, जाति चारण, निवासी बावडीखेडा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा राज0

10/5 हरकू बाई आयु 35 साल पुत्री हरिसिंह पत्नि भंवरलाल, जाति चारण, निवासी पचपहाड तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़ राज0

11. हीराबाई पुत्री भूरा जोजे लालजीराम, जाति चारण, निवासी ग्राम बरूखेड़ी, तहसील खिलचीपुर, जिला राजगढ़ (म0प्र0)

12. शान्तिबाई पुत्री भूरा, जाति चारण, निवासी ग्राम बरूखेड़ी, तहसील खिलचीपुर, जिला राजगढ़ (म0प्र0)

13. राजूबाई बेवा भूरा, जाति चारण, निवासी ग्राम बलवटपुरा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज0) मृतक

13/1 नरसिंह पुत्र भूरा, जाति चारण, निवासी ग्राम बलवटपुरा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज0)

14. रतन पुत्र रामा, जाति चारण, निवासी ग्राम बलवटपुरा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज0)

15. राजूबाई पुत्री रामा जोजे कालू, जाति चारण, निवासी ग्राम बलवटपुरा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज0)

15/1 मांगीलाल आयु 50 साल आत्मज कालू, जाति चारण, निवासी ग्राम खटकड, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़ (राज0)

15/2 उंकार आयु 40 साल आत्मज कालू, जाति चारण, निवासी ग्राम खटकड, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़ (राज0)

15/3 मोहन बाई आयु 35 साल पुत्री कालू पत्नि गेन्दीलाल, जाति चारण, निवासी ग्राम सातलखेडी, तहसील रामगंजमंडी, जिला कोटा राज0

16. कलाबाई पुत्री रामा जोजे मांगीलाल, जाति चारण, निवासी ग्राम पाटडीखेडा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)

16/1 परमानन्द आयु 40 साल आत्मज मांगीलाल, जाति चारण, निवासी ग्राम पाटडीखेडा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)

16/2 तेजराज आयु 55 साल आत्मज मांगीलाल, जाति चारण, निवासी ग्राम पाटडीखेडा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)

16/3 पाटूबाई आयु 58 साल पुत्री मांगीलाल पत्नि घीसालाल जाति चारण, निवासी ग्राम खेरीया, पो0आ0 रटलाई, तहसील बकानी जिला झालावाड राज0

16/4 केसर बाई आयु 40 साल पुत्री मांगीलाल पत्नि लालचंद, जाति चारण, निवासी ग्राम सातलखेडी, तहसील रामगंजमंडी, जिला कोटा राज0

16/5 सोना बाई आयु 35 साल पुत्री मांगीलाल पत्नि किशन लाल, जाति चारण, निवासी बावडीखेडा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा राज0

17. भूरीबाई पुत्री रामा जोजे किशन, जाति चारण, निवासी ग्राम पाटडीखेडा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0) मृतक

17/1 नारायन आत्मज किशन जाति चारण, निवासी ग्राम पालडा, पो0आ0 ओसाव, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़ (राज0)

17/2 बालकबाई पुत्री किशन पत्नी भगवान सिंह जाति चारण, निवासी ग्राम बूडा पो0आ0 ओसाव, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़ (राज0)

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

18. जड़ाबाई पुत्री रामा जोजे लक्खा, जाति चारण, निवासी ग्राम पाटडीखेड़ा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0) मृतक
    18/1 रामसिंह आत्मज लक्खा जाति चारण, निवासी बक्शपुरा पो0 आ0 मण्डाना, तहसील मण्डाना, जिला कोटा (राज0)
    18/2 रमेश आत्मज लक्खा जाति चारण, निवासी बक्शपुरा पो0 आ0 मण्डाना, तहसील मण्डाना, जिला कोटा (राज0)
    18/3 मोहनबाई पुत्री लक्खा पत्नि राजू, जाति चारण, निवासी बक्शपुरा पो0 आ0 मण्डाना, तहसील मण्डाना, जिला कोटा (राज0)
19. गुलाबबाई पुत्री रामा जोजे किशना, जाति चारण, निवासी ग्राम बरूखेड़ी, तहसील खिलचीपुर, जिला राजगढ़ (म0प्र0)
20. रामसिंह वल्द मल्ला, जाति चारण, निवासी ग्राम बलवटपुरा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज0)
21. कमला पुत्री मल्ला जोजे किशना, जाति चारण, निवासी ग्राम बलवटपुरा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज0)
    21/1 गोविद आयु 58 साल आत्मज किशन लाल, जाति चारण, निवासी ग्राम मण्डाना, तहसील मण्डाना, जिला कोटा राज0
22. ज्याना पुत्री मल्ला जोजे कान्हा जी, जाति चारण, निवासी ग्राम बरूखेड़ी, तहसील खिलचीपुर, जिला राजगढ़ (म0प्र0)
23. आला पुत्री मल्ला जोजे औकार जी जाति चारण, निवासी ग्राम पाटडीखेड़ा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)
24. छमली पुत्री मल्ला जोजे रामसिंह जी, जाति चारण, निवासी ग्राम बलवटपुरा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज0)
25. घीसीबाई बेवा मल्ला, जाति चारण, निवासी ग्राम बलवटपुरा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज0)
26. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सा0 तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज0)

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री संजय सक्सैना अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित

निर्णय **दिनांक : 30.07.2024**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मनोहरथाना के प्रकरण संख्या – 131/159/2005 निर्णय व डिक्री दिनांक 06.02.2012 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादनी रेपोडेंन्ट नं. 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम घोड़ाखेडा, तहसील मनोहरथाना के माल में खतौनी संख्या 62 की 16 किता की 24 बीघा 3 बिस्वा शामिल खाते में दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय

30/7/2024
(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, [illegible]

उपखण्ड अधिकारी, मनोहरथाना ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 06.02.2012 से वादनी का वाद स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि प्रतिवादी नं. 1 धाना का स्वर्गवास करीब 12 साल पहले हो गया था इस कारण प्रतिवादी नं. 1 की तामील होना संभव ही नहीं था। प्रतिवादी नं. 1 की तामील नहीं हुई लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने एक तरफा निर्णय व डिक्री पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय में वादिनी राधीबाई ने मृतक व्यक्ति के विरूद्ध दावा प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जो कि नलीटी है। प्रतिवादी देवी सिंह, करण सिंह, गोपीलाल का स्वर्गवास हो चुका है जिसकी कोई सूचना वादिनी राधीबाई ने अधीनस्थ न्यायालय को नहीं दी, जबकि प्रतिवादीगण के कानूनी उत्तराधिकारीगण को वाद में पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था, इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी, जो कि नलीटी है। वादिनी राधीबाई के द्वारा दावा उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, लेकिन यह दावा उपखण्ड अधिकारी, मनोहरथाना में ट्रान्सफर किया गया इसका कोई नोटिस अपीलांट व अन्य प्रतिवादीगण को नहीं दिया गया। जबकि अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण ट्रान्सफर होकर प्राप्त होने के बाद पक्षकारान को नोटिस जारी करने आवश्यक थे। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है।

वादिनी राधीबाई, भैरू की पत्नी थी। वादिनी राधीबाई का हीरा से विवाह नहीं हुआ था। वादिनी राधीबाई हीरा की बेवा नहीं थी। वादिनी राधीबाई, हीरा की पत्नी नहीं थी। रेस्पोडेंट नं. 1 व 2 हीरा के पुत्र नहीं है। वादिनी राधीबाई की मृत्यु के बाद रेस्पोडेंट नं. 1 व 2 ने अपने आपको राधीबाई का पुत्री, पुत्री बताया है जिससे स्पष्ट है कि रेस्पोडेंट नं. 1 व 2 हीरा के पुत्र पुत्री नहीं थे। इस तथ्य की ओर अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को सुनवाई का उचित एवं पूर्ण अवसर दिये बिना निर्णय एवं डिक्री पारित कर दिया, जो कि अवैधानिक है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को जवाबदेही प्रस्तुत करने का तथा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का तथा मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का उचित एवं पूर्ण अवसर नहीं दिया इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री कानून, तथ्य एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री पत्रावली में मौजूद दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मनोहरथाना का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.02.2012 निरस्त फरमाया जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 16.07.2012 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

20/7/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। रेसपोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मेमों में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की। अपने पक्ष के समर्थन में आर.आर.टी. 2017 (2) पेज 1047 की नजीर उद्धरत की।

हमने अभिभाषक अपीलांट की एकतरफा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

प्रस्तुत प्रकरण में अपील मीमों का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि अपील अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद राधीबाई बनाम धाना के प्रतिवादी कम 3 अमरसिंह पुत्र भूरा के द्वारा प्रस्तुत की गयी है। अपील मीमों में अपीलांट द्वारा कथन किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय में दावे में सभी प्रतिवादीगण की तामील नहीं हुई है। अपील मीमों में यह कथन भी किया गया कि दावा उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के समक्ष पेश किया गया था, जो उपखण्ड अधिकारी, मनोहरथाना के न्यायालय में स्थानान्तरित किया, तब भी प्रतिवादीगण को कोई भी नोटिस जारी नहीं किये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृत व्यक्ति के विरूद्ध डिक्री पारित की गयी। अपील मीमों के बिन्दु सं. 8 पर कथन किया गया "यह कि अपीलांट अमरसिंह को अधीनस्थ न्यायालय का सम्मन कभी प्राप्त नहीं हुआ। अपीलांट अमरसिंह के ऐसे किसी सम्मन पर हस्ताक्षर नहीं है। अगर किसी भी सम्मन पर हस्ताक्षर पाये भी जावे तो वह फर्जी एवं बनावटी तथा कूटरचित है। ऐसी तामील मानी जाने योग्य नहीं है। इस तथ्य की ओर अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय एवं डिक्री पारित करने में कानूनी एवं तथ्य पूर्ण गलती की है।"

उक्त अपील मीमों के आलोक में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 10.09.2002 के अनुसार प्रतिवादी नं. 3 (अपीलांट) की ओर से अधिवक्ता महेन्द्र कुमार जैन का वकालतनामा पेश हुआ। आदेशिका दिनांक 22.01.2004 के अनुसार प्रतिवादी नं. 3 (अपीलांट) की ओर से वकील श्री नारायणी मेवाडा ने वकालतनामा पेश किया। उक्त दोनों वकालतनामे शामिल पत्रावली है। दिनांक 02.08.2007 को अन्य प्रतिवादीगण के साथ अपीलांट द्वारा भी एक तरफा कार्यवाही निरस्त करने हेतु पेश प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 27.03.2008 से खारिज किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, मनोहरथाना के न्यायालय में दिया गया।

30/7/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

उक्तानुसार यह प्रकट होता है कि अपीलांट की अधीनस्थ न्यायालय में विधिवत तामील होकर पृथक पृथक दो अधिवक्ताओं ने वकालतनामा भी दिये। अतः अपीलांट का यह कथन कि उसकी समुचित तामील नहीं हुई तथा यदि किसी सम्मन पर उसके हस्ताक्षर है तो वह भी फर्जी, बनावटी व कूटरचित प्रमाणित नहीं होता, अपीलांट का यह कथन मान्य नहीं है क्योंकि कूटरचित या फर्जी तामील की कोई रिपोर्ट/एफ.आई.आर. अपीलांट द्वारा नहीं करायी गयी है तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न वकालतनामे से स्पष्ट है कि अपीलांट की तामील हो चुकी थी। अपीलांट अपील में सभी पक्षकारों की तरफ से पैरवी नहीं कर सकता। यदि अन्य पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से व्यथित थे तो उन्हें सह अपीलांट बनाना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं होने से स्पष्ट है कि अन्य पक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से कोई आपत्ति नहीं है। चूंकि अपीलांट की समुचित तामील अधीनस्थ न्यायालय में हो चुकी थी तथा अन्य पक्षकारान की तरफ से पैरवी करने का अपीलांट का लोकस स्टेन्डाई नहीं होने से अपील सारहीन होने के आधार पर खारिज किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.02.2012 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/7/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

अमर सिंह आत्मज भूरा, जाति चारण, निवासी ग्राम बलवटपुरा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज0)
......अपीलांट

बनाम

1. गंगाराम पुत्र राधीबाई, जाति चारण, निवासी ग्राम बलवटपुरा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज0)
1/1. धीरीबाई, आयु 30 साल पुत्री गंगाराम, जाति चारण, निवासी ग्राम आनन्दा, तहसील असनावर, जिला झालावाड़ (राज0)
1/2. रानीबाई, आयु 45 साल पुत्री गंगाराम, जाति चारण, निवासी ग्राम आनन्दा, तहसील असनावर, जिला झालावाड़ (राज0)
1/3. कंवरीबाई आयु 50 साल पुत्री गंगाराम, जाति चरण, निवासी ग्राम खेरीया पो0 आ0 रटलाई, तहसील बकानी, जिला झालावाड़ (राज0)
2. सोनाबाई पुत्री राधीबाई, जाति चारण, निवासी ग्राम बलवटपुरा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज0)
2/1. भंवरलाल, आयु 40 साल आत्मज लक्ष्मण, जाति चारण, निवासी ग्राम बक्शपुरा, तहसील मण्डाना, जिला कोटा (राज0)
2/2. रमेश आयु 25 साल आत्मज लक्ष्मण, जाति चारण, निवासी ग्राम मण्डाना, तहसील मण्डाना, जिला कोटा (राज0)
2/3. कालीबाई, आयु 30 साल पुत्री लक्ष्मण पत्नी हरलाल, जाति चारण, निवासी ग्राम मण्डाना, तहसील मण्डाना, जिला कोटा (राज0)
3. लालजीराम आत्मज मांगीलाल चारण, निवासी ग्राम बरूखेड़ी, तहसील खिलचीपुर, जिला राजगढ़ (म0प्र0)
4. मांगीलाल जाति चारण, निवासी ग्राम बरूखेड़ी, तहसील खिलचीपुर, जिला राजगढ़ (म0प्र0)
4/1. लालजीराम आत्मज मांगीलाल, जाति चारण निवासी ग्राम बरूखेड़ी तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ मध्य प्रदेश
5. नाथू पुत्र भूरा, जाति चारण, निवासी ग्राम बलवटपुरा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज0)
6. रणजीत आत्मज देवीसिंह, जाति चारण, निवासी ग्राम बलवटपुरा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज0)
7. बच्चीबाई बेवा देवीसिंह, जाति चारण, निवासी ग्राम बलवटपुरा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज0)
8. नवल सिंह आत्मज करणसिंह, जाति चारण, निवासी ग्राम बलवटपुरा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज0)
9. कमला पुत्री भूरा जोजे देवराज, जाति चारण निवासी ग्राम बावड़ीखेड़ा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा (राज0)
10. गूरीबाई पुत्री भूरा जोजे हरिसिंह जाति चारण, निवासी पाडला, तहसील सोयत, जिला शाजापुर (म0प्र0)
10/1 रोड़ू आयु 45 वर्ष आत्मज हरिसिंह जाति चारण, निवासी ग्राम पगारिया तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़ राज0
10/2 नारायन आयु 27 साल आत्मज हरिसिंह जाति चारण, निवासी ग्राम पालडा, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़ राज0
10/3 बालकबाई आयु 24 साल पुत्री हरिसिंह पत्नि भगवान सिंह, जाति चारण, निवासी ग्राम बूढा, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़ राज0
10/4 कमला बाई आयु 30 साल पुत्री हरिसिंह पत्नि कान्हाजी, जाति चारण, निवासी बावडीखेडा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा राज0
10/5 हरकू बाई आयु 35 साल पुत्री हरिसिंह पत्नि भंवरलाल, जाति चारण, निवासी पचपहाड तहसील पचपहाड, जिला झालावाड़ राज0
11. हीराबाई पुत्री भूरा जोजे लालजीराम, जाति चारण, निवासी ग्राम बरूखेड़ी, तहसील खिलचीपुर, जिला राजगढ़ (म0प्र0)
12. शान्तिबाई पुत्री भूरा, जाति चारण, निवासी ग्राम बरूखेड़ी, तहसील खिलचीपुर, जिला राजगढ़ (म0प्र0)
13. राजूबाई बेवा भूरा, जाति चारण, निवासी ग्राम बलवटपुरा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज0) मृतक
13/1 नरसिंह पुत्र भूरा, जाति चारण, निवासी ग्राम बलवटपुरा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज0)
14. रतन पुत्र रामा, जाति चारण, निवासी ग्राम बलवटपुरा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज0)
15. राजूबाई पुत्री रामा जोजे कालू, जाति चारण, निवासी ग्राम बलवटपुरा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज0)
15/1 मांगीलाल आयु 50 साल आत्मज कालू, जाति चारण, निवासी ग्राम खटकड, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़ (राज0)

30/7/2024

15 / 2 उंकार आयु 40 साल आत्मज कालू, जाति चारण, निवासी ग्राम खटकड,
तहसील पिडावा, जिला झालावाड़ (राज0)
15 / 3 मोहन बाई आयु 35 साल पुत्री कालू पत्नि गेन्दीलाल, जाति चारण, निवासी
ग्राम सातलखेडी, तहसील रामगंजमंडी, जिला कोटा राज0
16. कलाबाई पुत्री रामा जोजे मांगीलाल, जाति चारण, निवासी ग्राम पाटडीखेडा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)
16 / 1 परमानन्द आयु 40 साल आत्मज मांगीलाल, जाति चारण, निवासी ग्राम
पाटडीखेडा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)
16 / 2 तेजराज आयु 55 साल आत्मज मांगीलाल, जाति चारण, निवासी ग्राम
पाटडीखेडा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)
16 / 3 पाटूबाई आयु 58 साल पुत्री मांगीलाल पत्नि घीसालाल जाति चारण, निवासी
ग्राम खेरीया, पो0आ0 रटलाई, तहसील बकानी जिला झालावाड राज0
16 / 4 केसर बाई आयु 40 साल पुत्री मांगीलाल पत्नि लालचंद, जाति चारण, निवासी
ग्राम सातलखेडी, तहसील रामगंजमंडी, जिला कोटा राज0
16 / 5 सोना बाई आयु 35 साल पुत्री मांगीलाल पत्नि किशन लाल, जाति चारण,
निवासी बावडीखेडा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा राज0
17. भूरीबाई पुत्री रामा जोजे किशन, जाति चारण, निवासी ग्राम पाटडीखेडा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0) मृतक
17 / 1 नारायन आत्मज किशन जाति चारण, निवासी ग्राम पालडा, पो0आ0 ओसाव,
तहसील पिडावा, जिला झालावाड़ (राज0)
17 / 2 बालकबाई पुत्री किशन पत्नी भगवान सिंह जाति चारण, निवासी ग्राम बूडा
पो0आ0 ओसाव, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़ (राज0)
18. जडाबाई पुत्री रामा जोजे लक्खा, जाति चारण, निवासी ग्राम पाटडीखेडा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0) मृतक
18 / 1 रामसिंह आत्मज लक्खा जाति चारण, निवासी बक्शपुरा पो0 आ0 मण्डाना,
तहसील मण्डाना, जिला कोटा (राज0)
18 / 2 रमेश आत्मज लक्खा जाति चारण, निवासी बक्शपुरा पो0 आ0 मण्डाना,
तहसील मण्डाना, जिला कोटा (राज0)
18 / 3 मोहनबाई पुत्री लक्खा पत्नि राजू, जाति चारण, निवासी बक्शपुरा पो0 आ0
मण्डाना, तहसील मण्डाना, जिला कोटा (राज0)
19. गुलाबबाई पुत्री रामा जोजे किशना, जाति चारण, निवासी ग्राम बरूखेड़ी, तहसील खिलचीपुर, जिला राजगढ़ (म0प्र0)
20. रामसिंह वल्द मल्ला, जाति चारण, निवासी ग्राम बलवटपुरा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज0)
21. कमला पुत्री मल्ला जोजे किशना, जाति चारण, निवासी ग्राम बलवटपुरा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज0)
21 / 1 गोविद आयु 58 साल आत्मज किशन लाल, जाति चारण, निवासी ग्राम
मण्डाना, तहसील मण्डाना, जिला कोटा राज0
22. ज्याना पुत्री मल्ला जोजे कान्हा जी, जाति चारण, निवासी ग्राम बरूखेड़ी, तहसील खिलचीपुर, जिला राजगढ़ (म0प्र0)
23. आला पुत्री मल्ला जोजे औकार जी जाति चारण, निवासी ग्राम पाटडीखेड़ा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज0)
24. छमली पुत्री मल्ला जोजे रामसिंह जी, जाति चारण, निवासी ग्राम बलवटपुरा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज0)
25. घीसीबाई बेवा मल्ला, जाति चारण, निवासी ग्राम बलवटपुरा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज0)
26. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सा0 तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज0)

... रेस्पोडेंट

अपील नं. **2012 / 00002** व नाराजगी डिकी अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, मनोहरथाना**

मु.द.नं **131 / 159 / 2005** निर्णय एवं डिकी दिनांक – **06.02.2012**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख **05** माह **07** सन् **2024**

हाजरी **श्री संजय सक्सैना** अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट की ओर से, रेस्पोडेन्टगण अनुपस्थित।

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.02.2012 यथावत रखा जाता है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **30** माह **07** सन् **2024** को जारी किया गया ।

30/7/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(राज0)

मोहर